सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance | पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400059

शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं.17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशांबी, गाजियाबाद–201010

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने निर्देशित तिथियों को मांग सूचना जारी की गयी थी जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते बकाया राशि इत्यादि सहित के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ऋण खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण/कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मोहम्मद रशीद (उधारकर्ता), नेमत प्रवीण (सह–उधारकर्ता), LHGHZ00001488856	मकान नं.158, खसरा नं. 269, कैलाश नगर कॉलोनी हदबस्त, गांव कैला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (भूतल कवर्ड एरिया 41. 805 और प्रथम तल कवर्ड एरिया 41.805, कुल कवर्ड एरिया 83.61 वर्ग मीटर)। चौहद्दीः उत्तर में – गली 7 फीट, दक्षिण में – मुन्सी गड़रिया का मकान, पूरब में – हरस्वरूप नाई का मकान, पश्चिम में – भगजोगनी देवी की संपत्ति / कब्जे की तिथि– 13–जनवरी–25	15–10–2024 रु. 14,08,907.56	गाजियाबाद (कौशाम्बी)
2	मोहम्मद रशीद (उधारकर्ता), नेमत प्रवीण (सह–उधारकर्ता), LHGHZ00001488862	मकान नं.158, खसरा नं. 269, कैलाश नगर कॉलोनी हदबस्त, गांव कैला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (भूतल कवर्ड एरिया 41.805 और प्रथम तल कवर्ड एरिया 41.805, कुल कवर्ड एरिया 83.61 वर्ग मीटर)। चौहद्दीः उत्तर में – गली 7 फीट, दक्षिण में – मुन्सी गड़रिया का मकान, पूरब में – हरस्वरूप नाई का मकान, पश्चिम में – भगजोगनी देवी की संपत्ति / कब्जे की तिथि– 13–जनवरी–25	15–10–2024 रु. 51,996.36	गाजियाबाद (कौशाम्बी)

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दिया जाएगा।

दिनांक : जनवरी 18, 2025, स्थानः गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवेइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, टॉवर 3, विंग बी, कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कूर्ला (वेस्ट) मुंबई 400070, क्षेत्रीय कार्यालय पता : दूसरी मंजिल, 3बी, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005

ई–नीलामी – 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बिक्री।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणी व गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति को ऋण देयों की वसूली तक दी गई तालिका में वर्णित अनुसार राशि की वसूली के लिए **"जहां है जैसी है और जो है जैसी है"** के आधार पर बेची जाएगी। उक्त संपत्ति ऋणी(यों), सह–ऋणी(यों) व गारंटर(ओं) द्वारा लिए गए ऋण के लिए **निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एडलवेइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को गिरवी है। प्रतिभूतित ऋणदाता ने नीचे वर्णित प्रतिभूतित परिसंपत्ति का सांकेतिक कब्जा लिया है।

क्र.सं.	ऋणी(यों)/सह–ऋणी(यों)/गारंटर(ओं) के नाम	वसूली की राशि	आरक्षित मूल्य व ईएमडी	नीलामी की तिथि व समय
1.	विनीता शर्मा (ऋणी) श्रीमती विद्या शर्मा (सह–ऋणी)	रु. 30,11,089.05/– (रुपए तीस लाख ग्यारह हजार नवासी व पांच पैसे केवल) 17.01.2025 तक + उसपर पर भावी ब्याज + LDEL0UC0000055732 के लिए कानूनी व्यय	रु. 24,96,875/– (रुपए चौबीस लाख छियानवे हजार आठ सौ पिचहत्तर केवल) जमा धरोहर राशि : रु. 2,49,687/– (रुपए दो लाख उनचास हजार छह सौ सतासी केवल)	18.02.2025 को सुबह 11.00 से दोपहर 12.00 (5 मिनट के असीमित स्व विस्तार के साथ)

जांच की तिथि व समय : 10.02.2025 को सुबह 11.00 से दोपहर 3.00 के बीच **सांकेतिक कब्जा तिथि : 06.11.2024**

प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण : गायित्री लाइफ प्लॉट नं. जीएच–10एफ, फ्लैट नं. एस–0909, 9वीं मंजिल, टॉवर लाइफ सूइट्स सेक्टर 16, जीआर 201301

नोट : 1) नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और मान्य ई–मेल, आईडी प्रूफ व फोटो प्रूफ, पैन कार्ड रखने वाले और डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी का विधिवत भुगतान करने वाले बोलीदाता ही इस "ऑनलाइन ई–नीलामी" के भाग लेने के पात्र होंगे।

2) इच्छुक बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट/आरओजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा के माध्यम से अपनी ईएमडी जमा करनी होगा : **लाभार्थी का नाम : निडो होम फाइनेंस लिमिटैड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 65226845199, सरफेसी–नीलामी, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड, आईएफएससी कोड : SBIN0001593 3) ईएमडी सहित ऑनलाइन बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 17.02.2025 है।**

4) बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें या कृपया संपर्क करें श्री मौलिक श्रीमली फोन : +91–6351896643/9173528727, हैल्प लाइन ई–मेल आईडी : Support@auctiontiger.net**

मोबाइल नं. 7710850858/9768746624 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**

दिनांक : 18.01.2025 **निडो होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए, (पूर्व में एडलवेइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात)**

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, साल्कन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली– 110025 तथा प्रधान कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नोएडा 125, उत्तर प्रदेश

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ नीलामी सह विक्रय सूचना की सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय **28–02–2025** को **"जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहाँ जो कुछ भी हैं"** आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, **1. श्री राकेश कुमार पुत्र बबलू कुमार (उधारकर्ता / बंधककर्ता) निवासी– चौटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301, 2. आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार (सह–उधारकर्ता) निवासी– चौटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301, 3. ओम वती पत्नी आकाश कुमार (गारंटर) निवासी– 4ए, चोटपुर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301, 4. विकास पुत्र राकेश (गारंटर) निवासी– चोटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301 की ओर से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय 19/12/2023 के अनुसार रु. 6,99,750/– (रुपये छह लाख निन्यानबे हजार सात सौ पचास मात्र)** की एक राशि तथा उक्तावधि के पश्चात् राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों की वसूली करने हेतु किया जायेगा।

आरक्षित मूल्य रु. 6,99,750/– (रुपए छह लाख निन्यानबे हजार सात सौ पचास मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा, बोली राशि की 10 प्रतिशत अर्थात् रु. 69,975/– (रुपये उनहत्तर हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र) होगी। बाद की राशि 27–02–2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इस से पूर्व बैंक में जमा की जानी है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :–

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज)
1. श्री राकेश कुमार पुत्र बबलू कुमार (उधारकर्ता / बंधककर्ता) निवासी– चौटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301, **2. आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार (सह–उधारकर्ता) निवासी–** चौटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301, **3. ओम वती पत्नी आकाश कुमार (गारंटर) निवासी–** 4ए, चोटपुर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301, **4. विकास पुत्र राकेश (गारंटर) निवासी–** चोटपुर कॉलोनी, भोलपुर, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301 **ऋण खाता सं. (101941003434)**	**19–12–2023** **रु. 20,72,000/– (रुपये बीस लाख बहत्तर हजार मात्र)**	अचल संपत्तियों के समस्त भाग तथा अंश–माप 62 वर्ग गज क्षेत्रफल, खसरा नं. 477, ग्राम चोटपुर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित। राजस्व अभिलेखों में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 6895, पृष्ठ संख्या 201–216 क्रमांक 5966 दिनांक 11–09– 2015 को राकेश कुमार पुत्र बबलू कुमार के नाम में पंजीकृत।	**रु. 6,99,750/–** (रुपए छह लाख निन्यानबे हजार सात सौ पचास मात्र)	आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. 69,975/– (रुपये उनहत्तर हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र)

अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 26 फरवरी 2025 ..... को, 11.00 बजे – 15.00 बजे

बोली खोलने की नीलामी तिथि एवं समय : 28 फरवरी 2025 को, 10.00 से 12.00 बजे

प्रस्तावों / धराज को जमा करने की अंतिम तिथि : 27 फरवरी 2025 को 5.00 बजे तक

विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php **में उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।**

विक्रय के महत्त्वपूर्ण नियम तथा शर्तें :–

(1) संपत्ति का विक्रय "जैसी हैं जहाँ हैं, वहाँ जो कुछ भी हैं तथा बिना संसाधनगत वसूली" के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ऐसा विक्रय किसी भी आश्वासन एवं क्षतिपूर्ति के है।

(2) संपत्ति/प्रलेखों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के साथ ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।

(3) विक्रय के समस्त सामान्य नियमों तथा शर्तों से समाविष्ट बोली प्रलेख/प्रपत्र यहाँ इसमें ऊपर वर्णित बैंक के शाखा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली प्रपत्र पर अपनी मोहरबंद बोलियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजनी होंगी।

(4) मोहरबंद लिफाफे में जमा की जानेवाली बोली में, नीलामी संपत्ति हेतु बोली का उल्लेख किया गया हो तथा बोली, धराज (बोली राषि की 10 प्रतिषत के रूप में) के साथ "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित एवं नोएडा में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न कर 27 फरवरी 2025 को 5.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। बोलियां जो भरी नहीं गई होंगी अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त की गईं बोलियां अवैध मानी जाएंगी तथा उन्हें तद्नुसार निरस्त कर दिया जायेगा। धराज पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर दिये जाने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

(5) मोहरबंद बोलियां 28 फरवरी 2025 को 10.00 बजे – 12.00 बजे बैंक के उक्त वर्णित शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित रहनेवाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी तथा उसके पष्चात् योग्य बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर, प्रस्तावगत मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोलीदान में भागीदारी करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है।

(6) जमा किया जानेवाला बोली मूल्य, आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा बोलीदाता को आगे रु. 50,000/– के गुणक में अपने प्रस्ताव को बढ़ाना होगा। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।

(7) सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रय मूल्य की 25 प्रतिषत रकम (धराज सहित) का जमा भुगतान तत्काल अधिकतम अगले कार्यदिवस तक षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित नोएडा में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें तथा विक्रय मूल्य की शेष राषि का भुगतान सफल बोलीदाता को, बैंक द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15 दिवसों के अंदर, करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई धराज और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता विक्रय के नियमों का पालन नहीं करता है अथवा कोई चूक करता है, तो धराज की जमा अथवा इसका 25 प्रतिषत, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(8) बैंक जो है वह प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में, किसी प्राधिकरण से अथवा लागूरत् किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अनुमति/एनओसी अथवा किसी अन्य देयराशि अर्थात् बकाया जल / विद्युत देयताएं, सम्पत्ति कर, नगरपालिका / पंचायत कर या अन्य प्रभार, यदि कोई, की अधिप्राप्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता।

(9) सफल बोलीदाता जो है वो किसी विकास प्राधिकरण की बकाया देयराषियों, यदि कोई/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को भुग्तेय कर/यूटिलिटी बिल तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टांप शुल्क/पंजीकरण शुल्क इत्यादि भुगतानयोग्य शुल्कों सहित समस्त व्ययों के भुगतान वहन करेगा।

(10) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा समस्त प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय को स्थगित/निरस्त करने या किसी किसी पूर्व सूचना के बिना ही विक्रय के किसी नियम को संशोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार सुरक्षित है।

(11) एक बार बोलियों को लगाने के बाद उन्हें निरस्त अथवा वापस नहीं किया जा सकेगा।

(12) अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार बैंक, बैंक को छोड़कर, विक्रय की जानेवाली सम्पत्ति पर किसी भारग्रस्ता के बारे में अवगत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्पत्ति पर अपना स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। बैंक किसी भी प्रकार से उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्ता / हकदारी के संबंध में गारंटी नहीं देता अथवा कोई अभिवेदन प्रकट नहीं करता। किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को, उपर्युक्त सम्पत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी व्यक्ति को देय किसी प्रभार, धारणाधिकार, भारग्रस्तता, सम्पत्ति कर अथवा किसी अन्य देय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि वे विक्रय कार्यवाही के समय पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें तथा वे विक्रय के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहाँ इसमें ऊपर विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए इच्छुक क्रेताओं / खरीददारों को अपने साथ ला सकते हैं।

(13) अचल संपत्ति का विक्रय सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास, यदि वे अनिवार्य समझते हैं, परस्पर बोलीदान की अनुमति प्रदान करने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है।

(14) बैंक, बैंक की जानकारी से बाहर की संपत्ति पर निर्धारित किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(15) उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों की 30 दिवसीय विक्रय सूचना दी जाती है कि वे समाचारपत्र के क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित इस सूचना की तिथि से 30 दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों व अपनी देयताओं का पूर्ण भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऊपर वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेच दिया जायेगा। यदि यहाँ अंग्रेजी एवं देशी भाषा के समाचार–पत्रों में विक्रय सूचना के प्रकाषनों के मध्य कोई अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार–पत्र देशी भाषा के समाचार–पत्र का अधिक्रमण करेगा तथा इसे ही अंतिम प्रति के रूप में माना–विचारा जाएगा, इस प्रकार प्रकाषन अस्पष्टता दूर होगी। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, बैंक को देय राशि का विक्रय की तिथि से पूर्व पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। हालांकि ऐसी स्थितियों में, सूचना में बकाया राशि पर ऋण प्रलेखानुसार, राशि के वसूल होने तक देय एवं भुगतानयोग्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, इत्यादि लागू अनुसार प्रभारित होंगे।

(16) प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं प्रश्नातीत है। बोली जमा कर चुके सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्होंने नीलामी विक्रय के नियमों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वे उन पर बाध्यकारी हैं।

विवरणों, सहायता, प्रक्रिया एवं बोलीदान के लिये प्रस्तावित बोलीदातागण श्री सिद्धार्थ, संपर्क संख्या 9811864937 से संपर्क कर सकते हैं।

1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों/बंधककर्ताओं को उनके पतों पर डाक द्वारा विक्रय सूचना निर्गत करने जा रहे हैं। यदि यह सूचना किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो विक्रय सूचना के इस प्रकाशन को सूचना–प्राप्ति के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है।
2. उधारकर्ता/सह–उधारकर्तागण/गारंटरगण/बंधककर्तागण को भी एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें इस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर पूर्व अनुमति के साथ, उपरोक्त परिसरों के अंदर/बैंक की अभिरक्षा में पड़े अपने घरेलू सामानों, यदि कोई हो, की सुपुर्दगी अवश्य लेनी होगी। ऐसा न करने पर बैंक का उन सामानों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व/जवाबदेही नहीं होगी और वह उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर उनका निस्तारण करेगा और इनके विक्रय से होनेवाली आय को बकाया राशि में समायोजित करेगा।
3. यदि किसी भी कारण, चाहे जो कुछ भी हो, से नीलामी विफल हो जाती है तो कंपनी, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिदेशित प्रावधानों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से उपरोक्त बंधककृत संपत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी।

दिनाँक : 16–01–2024 स्थान : नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110025 एवं शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, निराला ईडन पार्क, क्यूएच-एस, जजेज एन्क्लेव, अहिंसा खंड इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201014

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सह बिक्री की सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु खुली नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने रचनात्मक कब्जा कर लिया है, 1. श्री भूप सिंह पुत्र हिम्मत सिंह (कर्जदार) निवासी -मकान नंबर एफ-101, छिजारसी, सेक्टर-63, बंसल सीमेंट एजेंसी के पास, जी.बी नगर, उ.प्र.-201301, 2. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री भूप सिंह (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी संख्या एफ-101, छिजारसी, सेक्टर-63, बंसल सीमेंट एजेंसी के पास, जी.बी नगर, उ.प्र.-201301, 3. श्री लक्ष्मण यह पुत्र दशरथ भगत (गारंटर) निवासी गांव- बिशनपुरा, सेक्टर-58, जी.बी नगर, उ.प्र. 201301 से **शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के 21.05.2022 तक बकाया रु. 6,30,000/- (रुपये छः लाख तीस हजार मात्र) तथा ब्याज एवं उसके पश्चात प्रभार की वसूली हेतु बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर 06 नवम्बर, 2024 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 8,07,570/- (रुपये आठ लाख सात हजार पांच सौ सत्तर मात्र) तथा जमा धरोहर राशि आरक्षित राशि का 10% अर्थात रु. 80,757/- (रुपये अस्सी हजार सात सौ सत्तावन मात्र) होगी, बाद वाली राशि बैंक के पास **05.02.2025** को 5 बजे अप. तक जमा करनी होगी जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)
1. श्री भूप सिंह पुत्र हिम्मत सिंह (कर्जदार) निवासी -मकान नंबर एफ-101, छिजारसी, सेक्टर-63, बंसल सीमेंट एजेंसी के पास, जी.बी नगर, उ.प्र.-201301, 2. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री भूप सिंह (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी संख्या एफ-101, छिजारसी, सेक्टर-63, बंसल सीमेंट एजेंसी के पास, जी.बी नगर, उ.प्र.-201301, 3. श्री लक्ष्मण यह पुत्र दशरथ भगत (गारंटर) निवासी गांव- बिशनपुरा, सेक्टर-58, जी.बी नगर, उ.प्र. 201301 (ऋण खाता सं. 101941001986, 101946510038)	21-05-2022 रु. 6,30,000/- (रुपये छः लाख तीस हजार मात्र)	अग्रलिखित अचल सम्पत्ति का समस्त भाग : आवासीय फ्रीहोल्ड ओपन प्लॉट, खसरा नंबर- 494 और 495, माप क्षेत्रफल 25 वर्ग गज, ग्राम-छिजारसी, जी.बी. नगर में स्थित, उप पंजीयक- नोएडा के राजस्व अभिलेखों में बही नंबर -1, जिल्द नंबर -3786, पेज नंबर- 249 से 262, क्रमांक - 3767 दिनांक 30.07.2013 में पंजीकृत, राधा देवी पत्नी श्री भूप सिंह के नाम पर।	रु. 8,07,570/- (रुपये आठ लाख सात हजार पांच सौ सत्तर मात्र)	आरक्षित राशि का 10% अर्थात रु. 80,757/- (रुपये अस्सी हजार सात सौ सत्तावन मात्र)

अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि	: 04 फरवरी, 2025, 1100 बजे - 1500 बजे
नीलामी की तिथि तथा संविदा खुलने की तिथि	: 06 फरवरी, 2025 को 1000 बजे से 1200 बजे
प्रस्ताव/ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि	: 54 फरवरी, 2025 को 5.00 बजे अपराह्न तक

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php** में प्रावधानित लिंक देखें।

बिक्री के महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :

(1) सम्पत्ति की बिक्री **"जहां है जैसे है, जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रयरहित आधार"** पर बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के की जा रही है।

(2) सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्युक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।

(3) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मुहरबन्द संविदाएँ निर्धारित संविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं।

(4) संविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर नीलामी सम्पत्ति हेतु संविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ **"शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड"** के पक्ष में आहरित नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10% होगा) बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर **05 फरवरी, 2025 को 5.00 बजे अप. तक** जमा करनी है। जो संविदाएँ भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। प्रदत्त ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। मुहरबन्द संविदाएँ **06 फरवरी, 2025 को 10.00 बजे-12.00 बजे तक** बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और इसके पश्चात पात्र संविदाकारों को अधिकृत प्राधिकारी के विशेषाधिकार पर प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक संविदा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

(5) जमा किया जाने वाला संविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा संविदाकार **रु. 50,000/-** के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

(6) सफल संविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल)